हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक : 10 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अक्टूबर, 2021

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

आजादी के 75वें वर्ष में देश के प्रधानमंत्री से समता आन्दोलन की तीन न्यायसंगत मांग

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आजादी के 75वें वर्ष में तीन न्यायसंगत मांग की है। पत्र की प्रति सभी सांसदों को भेजी गई हैं।

पत्र में लिखा है कि आप यह भली भांति जानते हैं कि पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण से पूरे देश का न्यायिक-प्रशासन, विधायी-प्रशासन और लोक-प्रशासन लगातार धराशाही, निष्प्रभावी, अक्षम, लज्जित होता जा रहा है। पूरे देश में सभी राज्यों, केन्द्र और सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 2 करोड कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान और सुयोग्य लोकसेवक पदोन्नति में जातिगत आरक्षण के कारण बार-बार अन्याय, प्रताडना, अपमान और प्रतिष्ठा व अर्थ का भारी नुकसान सहने को मजबूर होते रहे हैं। पूरा न्यायिक, विधायी और लोक-प्रशासन जातिगत वैमनस्य की आग में जल रहा है।

इसी प्रकार अजा एवं अजजा वर्ग के वंचित और पिछड़े लोग इसी वर्ग के सम्पन्न, धनाढ्य, सशक्त और अगड़े हो चुके चार-पांच प्रतिशत लोगों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अजा, अजजा में ही सम्पन्न, धनाढ्य, सशक्त अधिकारियों/राजनेताओं की लोबी सरे आम अपने ही वर्ग के वंचित गरीबों और पिछड़ों के हकों पर डाका डाल रही है, "नवशोषक वर्ग (Neo-exploiter class) बनकर सक्रिय है। लेकिन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चुप हैं। वंचित, गरीब, पिछडे, कमजोर अजा/अजजा के अधिकारों की रक्षा करने में लाचार, बेबस और अक्षम महसूस कर रहे हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग में भी हास्यास्पद क्रीमिलेयर अधिसूचना के कारण (जिसमें 0.1 प्रतिशत भी ओबीसी से बाहर नहीं हो पा रहे) बडी संख्या में गरीब, वंचित, पिछडे, कमजोर लोगों तक ओबीसी आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था संविधान विरूद्ध तरीके से "पिछडा वर्ग" के स्थान पर पूरी तरह जाति आधारित हो गई है। कुछ दबंग जातियों की दबंगई के आगे सरकारों के समर्पण के कारण पूरा ओबीसी आरक्षण बदनाम और विवादित हो गया है।

आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आपकी सरकार द्वारा निर्धारित पांच अनिवार्य मानदण्ड एक स्तुत्य प्रयास है। आपकी और आपकी सरकार की गरीब, पिछडे, वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इन पांच मानदण्डों के प्रभाव से सामान्य वर्ग का कोई भी सशक्त, सम्पन्न और अगडा व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर अपने ही वर्ग के गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों के हक को लूटने में अक्षम हो गया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। इसीलिए आपकी और आपकी सरकार की सोच, कार्यशैली, संवेदनशीलता और गरीब-वंचित-पिछड़े लोगों के प्रति न्यायप्रिय दृष्टिकोण को देखते हुये देश की आजादी के 75वें वर्ष में आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि:-

1. पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण की अन्यायपूर्ण, अराजक और दमनकारी व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रदत एम.नागराज बनाम भारत सरकार-2006 के निर्णय की पालना करते हुये तत्काल समाप्त किया जावे।

2. अजा/अजजा में गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को इसी वर्ग के "नव शोषक वर्ग" से सुरक्षा दिलवाने के लिए क्रीमिलेयर वर्ग को बाहर करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की तीन-तीन संविधान पीठों के निर्णय (एम.नागराज बनाम भारत सरकार-2006, जरनेल सिंह बनाम भारत सरकार-2018 और चैम्बरूलू लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश-2020) की पालना करते हुये अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना तत्काल जारी की जावे।

3. ओबीसी वर्ग के आरक्षण को असली गरीब, वंचित, पिछडे लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस आरक्षण को जाति आधारित आरक्षण के श्राप से मुक्त करने के लिए और तथाकथित क्रीमिलेयर की हास्यास्पद अधिसूचना को न्यायसंगत बनाने के लिए कृपया आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अनिवार्य पांच मानदण्डों को पूरे देश में ओबीसी में भी तत्काल लागू किया जावे।

पत्र में आगे लिखा कि हम आपकी, आपकी सरकार की और अन्य किसी भी राजनैतिक दल की मजबूरियों को समझते हैं। इसीलिए आजादी के 75वें वर्ष में आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग के बजाय हर वर्ग के हित में उपरोक्त तीन न्यायसंगत मांग रख रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 75 वर्षों से अकारण अन्याय झेल रहे दो करोड से अधिक लोकसेवकों को न्याय दिलवाने के लिए और अजा/अजजा/ओबीसी वर्ग के असली वंचित, गरीब, पिछड़ों तक आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आप जैसा न्यायप्रिय और निर्भीक शासक निश्चित ही त्वरित सकारात्मक निर्णय ले पायेगा और अन्य राजनेता या दल भी वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर निर्दोष, कर्मठ लोकसेवकों और असली वंचित पिछडें कमजोर लोगों के हित में लिए गये आपके निर्णय का सरल मन से समर्थन करेंगे।

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है लगातार सुनवाई

जयपुर। एम.नागराज बनाम भारत सरकार के प्रकरण में आये संविधान पीठ के निर्णय दिनांक 19.10.2006 को बड़ी बैंच में पुनर्विचार के लिए भेजने के विषय पर जरनेल सिंह बनाम भारत सरकार के प्रकरण में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा दिनांक 26 सितम्बर 2018 को यह सर्वसम्मत निर्णय दिया गया था कि एम.नागराज का निर्णय सही है जिसे बड़ी बैंच में पुनर्विचार हेतु संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से एम.नागराज के निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण के लिए निर्धारित पांच अनिवार्य और अति महत्वपूर्ण शर्तों में से पिछड़ापन साबित करने की प्रथम शर्त को हटा दिया गया था। लेकिन क्रीमिलेयर की शर्त को लागू करने के निर्देश पुनः प्रमुखता से दिये गये थे।

दिनांक 05 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में तीन सदस्यों की बैंच के समक्ष उपरोक्त जरनेल सिंह के प्रकरण में सम्बद्ध 133 प्रकरणों की सुनवाई चल रही है जिनमे सन्निहित तथ्यों के आधार पर एम.नागराज एवं जरनेल सिंह के निर्णयों की रोशनी में पृथक-पृथक निर्णय किये जाने है। इन 133 प्रकरणों में समता आन्दोलन की तरफ से कुल 10 प्रकरणों में बहस करवाई जा रही है। अभी तक तीन

समता आन्दोलन का पांच बिन्दुओं पर फोकस:

1. पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सटीक परिभाषा 2. सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा 3. क्रीमिलेयर को बाहर करना 4. ऑन मेरिट का अविधिक सिद्धान्त 5. अत्यधिक प्रतिनिधित्व / विपरीत भेदभाव

वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा हमारे प्रकरणों में प्रथम दौर की बहस की जा चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सही आंकलन करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की वैज्ञानिक परिभाषा निर्धारित करने की पूरजोर मांग की गई और तथ्यात्मक साक्ष्य पेश करते हुये इसे जनसंख्या अनुपात के पचास प्रतिशत पर निर्धारित करने का तर्क दिया गया। इसे स्पष्ट करते हुये बताया गया कि यदि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात 15 प्रतिशत है तो इसका पचास प्रतिशत अर्थात साढे सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में होने पर इसे पर्याप्त हो जाता है जिसके बाद पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक है।

इसी प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता सौम्य चक्रवर्ती ने "Own merit" ,"excessive reservation" और 50 प्रतिशत की सीमा के बिन्दुओं पर पूरजोर बहस की। वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एल.लाहोटी द्वारा "विपरीत भेदभाव" और "सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा" बिन्दुओं पर तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ अपने तर्क प्रस्तुत किये।

अभी बहस चल रही है। अन्य पार्टियों और संगठनों के अधिवक्ता भी अपना पक्ष रख रहे है। समता आन्दोलन द्वारा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रमुखतः पांच बिन्दुओं पर फोकस किया जा रहा है जिनमें उपरोक्त के अलावा क्रीमिलेयर को बाहर करवाना भी शामिल है।

अध्यक्ष की कलम से

हमें गर्व है

साथियो।

लीजिये! उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जाति आधारित बनता जा रहा है। कहने को सभी पार्टियाँ जातिविहीन राजनीति की बातें करती हैं लेकिन चुनाव के धरातल पर हर बार जाति अथवा धर्म का कार्ड ही निर्णायक होता रहा है। इस बार भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वहाँ जाति समीकरणों के अलावा सामाजिक गणित भी अपना प्रभाव अलग रखता है। कोई सौ सीटों पर प्रभावी ब्राह्मण और अस्सी सीटों पर प्रभावी ठाकुर इन दोनों समाजों के बीच एक दूसरे की पटखनी देने की होड़ अब साफदिखाई देने लगी है। इन हालातों में समता आन्दोलन का मिशन-59 लोगों को याद दिलाया जा सकता है जब अनारक्षित वर्ग के लोगों ने जेब से पैसा खर्च करके आरक्षितों (वास्तविक वंचित) को राजस्थान की कुल 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाया था। यही है वो भारतीय चिंतन जिसकी नींव गांधी, नेहरू, पटेल और अम्बेडकर ने रखी थी। लेकिन, पूरे देश में जिस पर इमारत बनाने का प्रयास केवल समता आन्दोलन ने किया।

पार्टियों के सारे सिद्धांत केवल और केवल सत्ता पाने तक सीमित हैं। सामाजिक संगठन आत्ममुग्ध हैं। स्वयम सेवी संगठन लाचार सिद्ध हो चके हैं। इन हालातों में समता आन्दोलन के "मिशन-59" को यू पी में भला कौन समझेगा। फिर भी हमें संतोष ही नहीं गर्व है कि हमने वो सब कुछ किया जिसकी देश को आवश्यकता हैं। जय समता।

सम्पादकीय

बन्द हो मनुष्य को मुआवजा समझना

समता आन्दोलन ने देश की सरकारों और नेताओं को तथ्य परक चिट्ठियाँ लिखकर मांग की थी कि ''जिंदा शहीदों'' का सम्मान करते हुए उन्हें मुआवजा दिया जावे। इस श्रेणी में उन लोगों को रखे जाने की बात की गई थी जो या जिनकी अनेक संतानें अथवा दो तीन पीढियाँ जाति आरक्षण के नाम पर देश की मुख्य धारा से पीछे धकेल दी गई हैं। लेकिन मुआवजा तो दूर उन्हें बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया।

आज जो हालात बने हैं वे बहुत ही विचित्र और मानवता को स्तब्ध कर देने वाले है। पिछले तीन-चार सालों का अनुभव ये बताता है कि अब सरकारी नौकरी घर में लाने का सरल सा तरीका दिखाई देने लगा है। किसी भी आन्दोलन में अथवा बिना उचित कारण भी सरकार कारित मौत हो जाती है तो भी और यदि दुर्घटना आदि में मर या मार दिये गये इन्सान के पक्ष में जाँच तो बाद में घोषित होती है पहले मुआवजा घोषित हो जाता है। और यदि मरने वाले की मौत मुद्दा बन जाती है तो उसके एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी आनन-फानन में कर दी जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखकर कहा जा सकता है कि मानों अब परिवार में किसी की मौत सरकारी नौकरी पाने की पहली शर्त बना दी गई है।

जहाँ तक बात मुआवजे की है तो इसमें कोई नियम और सिस्टम काम करता दिखाई नहीं देता । हमारे देखते-देखत मानव मृत्यु का व्यापार हो रहा है। हाल ही उत्तर प्रदेश में एक कार से कुचल कर मरे चार लागों को 50-50 लाख रूपया मुआवजा घोषित किया गया जबकि कार में सवार चार लोगों को दुर्घटना के बाद लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला तो उन्हें 45-45 लाख रूपये मुआवजे की घोषणा उस पार्टी ने की जिसकी सरकार वहाँ थी। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा बिहारी मजदूरों की हत्या की गई तो बिहार सरकार ने मात्र दो-दो लाख रूपया मुआवजा घोषित किया । तो क्या आतंकियों द्वारा हत्या किये गये इन्सान का मोल इतना कम होना चाहिये ?

मुनष्य को मुआवजा बना देना सभ्य समाज की शोभा नहीं है। लेकिन इन दिनों सरकारें मानव मृत्यु पर मुआवजा कुछ इस तरह धोषित करती हैं मानों सरकारों के हाथ में बस यही एकमात्र न्याय का मार्ग बचा है। ऊपर से कथित मीडिया मानव मृत्यु को भी दलित गैर दलित में बाँटकर ऐसा खेल करता है कि मानवता कराह उठे? इसी मानवता के नाम पर मानव अधिकार आयोग केन्द्र और प्रदेश सरकारों में अलग-अलग चल रहे है। इन आयोगों का सरकारें किस तरह अपने हित में प्रयोग या दुरूपयोग करती हैं ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है।

बहरहाल, यदि मनुष्य को मुआवजे में बदल ही दिया है तो फिर जिंदा शहीदों को मुआवजा देने की नीति भी बननी चाहिये। ऐसे हजारों लोग हैं जो आरक्षण की मार से बर्बाद हो चुके हैं। अनेक आत्महत्या कर चुके हैं। तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहियें? यह प्रश्न सभ्यता की श्रेणी में नहीं आता है। हम जानते हैं। इसीलिये देश भर की सरकारों से माँग करते हैं मनुष्य को मुआवजा बनाने की प्रवृति पर तत्काल रोक लगाकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाये।

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

क्या प्रोमोशन में आरक्षण पर नागराज व जर्नेल सिंह के निर्णयों के बाद पुनर्विचार होना चाहिये ?

जस्टिस पानाचंद जैन

सन् 1992 के इन्द्रा साहनी के केस के बाद आज तक देश की अदालतों में आरक्षण को लेकर हजारों केस दायर होकर निर्णित हो चुके हैं। किन्तु देश आज भी आरक्षण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। संविधान पीठ के कई निर्णय भी हो चुके हैं और आरक्षण की प्रोमोशन में भी मांग उठाई गई है। एम नागराज सन् 2006 के केस के बाद जर्नेल सिंह का केस सन् 2018 विशेष चर्चा का विषय रहा है। इन दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ,जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बी.आर. गवई न्यायाधीश हैं प्रोमोशन में आरक्षण विषय पर कई पिटिशनस् में सुनवाई कर रहे हैं। केन्द्र और राज्यों ने इन पिटिशनस् में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि आरक्षण प्रोमोशन में भी हो इसके बाबत क्या मानदण्ड हों? इसे लेकर, गभ्भीर विवाद है और कई मामलों में नियुक्तियाँ में विवाद चल रहे हैं, जिनका निदान ढूँढना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जर्नेल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता को केस 2018 में निर्णित किया । इस केस में रेफरेंस का उत्तर दिया था। सन् 2006 में एम नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रोमोशन में आरक्षण देना अनिवार्य नहीं है। किन्तु राज्य सरकार प्रोमोशन देना चाहें तो उसे पिछड़ों की श्रेणी के हेतु संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करना अनिवार्य है, साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत् अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति पर भी ध्यान रखा जावेगा। नागराज के केस के निर्णय की समीक्षा करने पर, यह शंका अभिव्यक्त की गई कि प्रोमोशन देने में पिछड़ेपन व अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठे करने की शर्त उचित प्रतीत नहीं होती और इस पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु यह प्रकरण पांच जजों की संविधान पीठ को नवम्बर 2017 में रेफर किया गया कि संविधान पीठ नागराज के केस को पुनर्विचार के योग्य मानती है तो उसे संविधान पीठ को निर्णयार्थ भेजे। इसका अभिप्राय था कि संविधान पीठ को यह निर्णय करना था कि नागराज के केस पर पुनर्विचार होना चाहिये या नहीं।

संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा कर रहे थे, ने दिनांक 26.09.2018 को निर्णय दिया कि नागराज के केस में जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रोमोशन में आरक्षण का प्रश्न था, उसे बड़ी पीठ को पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा जावेगा। फिर भी संविधान पीठ ने अपने ही निर्णय में यह जोड़ दिया कि नागराज के केस की शर्त कि आरक्षण देने के हेतु राज्य सरकार को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन के संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। यहाँ यह लिखना समीचीन व उचित होगा कि उक्त शर्त इन्द्रा साहनी के 9 जजों की पीठ के निर्णय के विपरीत मानी जा रही थी अत: यह विचार भी उठा कि क्या यह शर्त अवैध थी और क्या वास्तविक रूप से इन्द्रा साहनी के केस का यह अर्थ निकालना उचित है या नहीं।

उक्त केस में सरकार का पक्ष अथवा नेतृत्व श्री के.के. वेणुगोपाल अटोर्नी जनरल भारत सरकार ने किया। उनका तर्क था कि नागराज के केस पर पुनर्विचार होना चाहिये। राज्य को पिछड़ेपन के हेतु संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करना अनिवार्य था। उनकी बहस के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों ही अति पिछड़ी जातियां हैं और जब संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के तहत् इन्हें राष्ट्रपति की लिस्ट में शामिल किया गया है तो उन्हें पिछड़ा नहीं मानना, स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनका दूसरा तर्क था कि क्रीमीलेयर के सिद्धांत को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर इन्द्रा साहनी में लागू नहीं माना है, न प्रोमोशन में ही लागू माना है। केस में विपक्ष का नेतृत्व श्री शान्ति भूषण वरिष्ठ अधिवक्ता ने किया था । श्री शान्ति भूषण ने अपनी बहस में कहा कि पिछड़ेपन का संबंध अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से नहीं था अपितु पिछड़ों की क्लास की पोस्ट से था।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना सर्वसम्मत निर्णय दिनांक 26.09.2018 को दिया उसका सार इस प्रकार है: प्रथम बिन्दु पर: इस प्रकार हमारा निर्णय है कि नागराज के केस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। उसे 7 जजों की बड़ी पीठ को नहीं भेजा जावेगा। फिर भी हम यह मानते हैं कि नागराज के केस में जो पिछड़ेपन के संबंध में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आंकड़े इकट्ठे करना राज्य सरकार की अनिवार्यता थी।

द्वितीय बिन्दु:- इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पेरा 17 में यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर क्रीमीलेयर टेस्ट लागू होता है और इस बाबत कोई विवाद नहीं है अत: पुनर्विचार आवश्यक नहीं है।

3. न्यायाधीशों की खण्डपीठ जर्नेल सिंह के केस पर विचार कर रही है। बहस का विषय का है कि "Whether adequacy of reservation should be proportionate to population of backward classes and whether the reservation should apply cadre wise".

खण्डपीठ ने स्पष्टतौर पर कहा कि (Proportionate to population) की बहस को 5 जजों की पीठ ने सही नहीं माना है और रेफरेंस करने से इन्कार किया है अत: हम इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। जब 5 जजों की पीठ इसे इन्कार कर चुकी है फिर हम इस ओर कैसे जा सकते हैं किन्तु 5 जजों की जर्नेल सिंह के केस की पीठ ने इसे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि Adequate representation के प्रश्न को Promotional Post की संख्या के आधार पर तय करें।

प्रस्तुत केस मे बहस में एजीआई के.के. वेणुगोपाल, एएसजी बलवीर सिंह, सीनियर एडवोकेट परमजीत पटवाला, सीए राजीव धवन, सीनियर एडवोकेट इन्द्रा जयसिंह, सीए गोपाल शंकर नारायण, सीए राणा मुखर्जी, सीए दिनेश द्विवेदी बहस कर चुके हैं तथा बहस अभी चालू है, केस में दशहरे की छुट्टियों के बाद पुन: बहस चालू रहेगी।

बहस का मूल बिन्दु है क्या आरक्षण की पर्याप्तता बेकवर्ड क्लासेज की आबादी के अनुपात पर होगी और क्या आरक्षण केडर वाइज होगा?

आजादी के 75 वर्ष बाद सरकार आरक्षण देने को बाध्य नहीं है। यदि राज्य पिछड़ों को नियुक्ति में आरक्षण पर विचार करती है तो प्रत्येक केस में कुछ अनिवार्य कारणों को प्रावधान बनाने से पूर्व संख्यात्मक आंकड़ों से साबित करना होगा कि क्या पिछड़ापन शेष हैं? क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है? क्या सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा को तो खतरा नहीं है? आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, क्रिमीलियर को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी, एससी व एसटी का उपवर्गीकरण यथावत रखना होगा। चूंकि अनुच्छेद 16(4), (4ए) 4बी एक धारा में हैं अत: पदोन्नति में भी आरक्षण के प्रावधान बनाने के लिये वे ही शर्तें लागू होंगी । अनुच्छेद 16(4), (4ए) 4बी इनेब्लिंग प्रावधान हैं स्वयं में मूल अधिकार नहीं हैं।

सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने अपनी बहस में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 334 को कोई सीधा संबंध अनुच्छेद 335 से नहीं है। लोकसभा में एंगलो इण्डियनस् 1-2 सीट्स हैं और एससी व एसटी की है, किन्तु वे एसटी व एससी के हेतु वे बेकवर्ड व उत्पीड़ितों के हेतु मेजोरिटी है। मुखर्जी ने कहा कि जर्नेल सिंह के अनुसार पर्याप्त जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिये और इसका निर्णय जनसंख्या की गणना पर निर्भर है। मुखर्जी ने कहा कि जर्नेल सिंह के केस में यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि जनसंख्या के अनुपात को मापदण्ड नहीं बना सकते। उनका कथन था कि प्रबन्धन की दक्षता का प्रश्न उसी समय देखा जा सकता है जब प्रोमोशन में आरक्षण अपेक्षित हो।

(शेष पृष्ठ-3 पर)

पौराणिक कथन : 'सुमुख'

कश्यप और कद्रू की संतति परम्परा में, ऐरावत का प्रपौत्र और वामन का दौहित्र-एक नाग।

संगीतों के सभी काफिले,
चढ गये आरक्षण की भेंट।
सब अनारक्षित खुश घूमते-
गोद में लेकर खाली टेंट।।

कविता

''जातिवादी लूट''

समता-समता करते-करते
हमने समता खूब बढाई।
लेकिन वे तो समझ न पाये-
जो करते आये उलट पढाई।।
आजादी की भाषा बदली,
मनमानी अब नई नीति है।
शिक्षा की गड़बड़ है धारा-
हिंसा को कहते करूणाई।।
नियम कायदे धौंस दपट्टा,
मनस न्याय तक है असमंजस।
हंस खा रहे दाना-दुनका-
काग उड़ाते दूध मलाई।।
बीच भंवर में नैया डगमग,
माझी देकर धोखा भागा।
कोर्ट कचहरी जंगल मंगल-
लाचारी में है तरूणाई।।
अमर बेल अब विष बेलें हैं,
आश्वासन बस अंधकार है।
आशाएं बिन पंख खड़ी तो-
हँसे उठाकर रोज ढिठाई।।
लोकनीति को राजनीति यूँ,
निगल रही है प्रतिदिन प्रतिपल।
संविधान की पुस्तक गुम है-
कि जाति आरक्षण सच्चाई।।
सोच हवाले बिके खड़े हैं,
दृश्य विधाएं सब इक तरफा।
देश में बंधु आरक्षण ने-
मानस हिंसा खूब फैलाई।।
धर्म-कर्म के तीतर सारे,
लंपटता खा गई काट के।
तार-तार है त्याग तपस्या-
जातिवाद ने लूट मचाई।।
(वाई. एन. शर्मा)

पृष्ठ- 2 का शेष :-

सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी की बहस थी कि अनुच्छेद 164ए के अनुसार राज्य की राय व राज्य के तहत नौकरी शब्दावली महत्वपूर्ण है। उनका कथन था कि आरक्षण सेवा के समय क्लास बेसिस पर होना चाहिये, केडर आधारित नहीं। उन्होंने कहा कि शब्द Relatable का प्रयोग केडर के हेतु नहीं है। उपरोक्त कुछ अंश के नमूने हैं तथा इनके अतिरिक्त वे प्रश्न हैं जो पीठ के जजों ने पूछे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि विषय पर गम्भीर मतभेद है।

प्रस्तुत केस में पूरी बहस के बाद क्या निर्णय होगा, यह कहना कठिन है, किन्तु पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि चूंकि जर्नेल सिंह के केस में संविधान पीठ ने रेफरेंस करने से इन्कार कर दिया था अत: खण्डपीठ उस पर पुनर्विचार नहीं करेगी। खण्डपीठ की राय है कि Proportionate to population के प्रश्न को Re-examine नहीं करेगी। जर्नेल सिंह के केस में संविधान पीठ ने यह टिप्पणी की है कि राज्य प्रोमोशन में आरक्षण दे सकते हैं, यदि राज्य यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व निर्णय संबंधित पोस्ट के अनुपात पर हो। नागराज के केस में संविधान पीठ ने यह जोड़ दिया था कि आरक्षण देने के हेतु राज्य सरकार को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन के संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करने होंगे।

माननीय खण्डपीठ के समक्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जर्नेल सिंह के निर्णय के पुनर्विचार की अति आवश्यकता हो। यह सही है खण्डपीठ के समक्ष जो बहस हुई है, उससे एक राय जजों की हो इस पर शंका की जा सकती है यों भी Precedents का यह सिद्धांत है कि संविधान पीठ के निर्णय में परिवर्तन उसी समय हो जब पीठ का निर्णय जनहित में नहीं हो या वे परिस्थितियों हों जिनका उल्लेख अनुच्छेद 19(2) में किया गया है। ऐसी परिस्थितियों इस केस में नहीं हैं। फिर संविधान पीठ के निर्णय के साथ छेड़छाड़ क्यों?

देश और राज्यों की स्थिति

गतांग से आगे:

देश और राज्यों की स्थिति

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के वी.पी.सिंह के फैसले पर जब विवाद उठने लगा तो उस समय 'इंजीनियरिंग एक्सप्रेस' में काम करते हुए हम देख रहे थे कि राज्यों में क्या कुछ हो रहा है।

केरल में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक प्रकाशित नहीं किए जाते, हाँ सूची में उनका रैंक प्रदर्शित किया जाता है।

उस वर्ष राज्य में एम.बी.बी.एस. की 700 सीटों के लिए 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए 412वाँ या इससे उच्च रैंक प्राप्त करना अनिवार्य था। एझवा जाति जिसे केरल में पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी गई है। के एक अभ्यर्थी को प्रवेश मिल गया, जबकि उसका रैंक 1,605वाँ था।एक मुसलिम अभ्यर्थी केरल में मुसलिम एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। को प्रवेश मिल गया, जबकि उसका रैंक 1752वाँ था। एक लैटिन कैथोलिक जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आता था-को प्रेवश मिल गया, जबकि उसका रैंक 2,653वाँ था। इसी तरह अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी का भी प्रवेश मिल गया, जबकि उसका रैंक 4,409वाँ था। अनुसूचित जनजाति के कोटे के अंतर्गत एक ऐसे अभ्यर्थी को भी प्रवेश मिल गया, जिसका रैंक 14, 246वाँ था।

यह चिकित्सकों का चयन करने का कोई रास्ता होगा। या फिर, हमारे युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्सहित करने को कोई अनोखा रास्ता होगा। खैर, राज्य-दर-राज्य यही सिलसिला दोहराया जाता रहा-राज्यों की राजधानियों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी थी।

> हमने देखा कि अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अर्हता-अलग-अलग जाति वर्ग के कारण अलग-अलग हो गई थी। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों में कड़ी प्रतियोगिता के कारण उनका अर्हता अंक भी बढ़ता जा रहा था, जबकि आरक्षणार्थी अभ्यर्थियों में जमकर ढील दी गई। इस ढील या छूट को भी खूब बढ़ाया जाता रहा।

आंध्र प्रदेश में आयोजित होनेवाली इसी तरह की परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों जिन्हें कोई आरक्षण प्राप्त नहीं था। को प्रवेश के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था और आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ऐसी सीमा पार करना अनिवार्य नहीं था।

चंडीगढ़ का प्रतिष्ठित स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान भी इस सिलसिले से अछूता नहीं रहा । यहाँ सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित नहीं किया गया था। 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 11 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ भी उन्हें प्रवेश मिल गया, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता अपने ही वर्ग के अभ्यर्थियों यानी अपनी योग्यता के बल पर प्रवेश न पा सकने वाले के साथ ही थी।

कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को कम-से-कम 67 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह प्रतिशत 75 निर्धारित किया गया था और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कम-से-कम 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था।

मध्य प्रदेश में उस वर्ष मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 66.6 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था, जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रतिशत 35.7 रखा गया था। वैसे, उत्तीर्ण होने के लिए सामान्यतया 40 प्रतिशत प्राप्तांक निर्धारिक किया गया था।

राजस्थान में अर्हता अंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 65 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 48 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 42 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। पंजाब की बात करें तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रतिशत 50 और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 निर्धारित किया गया था। गुजरात में यह प्रतिशत क्रमश: 60 और 45 था। गोवा में यह प्रतिशत क्रमश: 79 और 48 था।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस वर्ष यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अर्हता अंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पहले 64.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में घटाकर 60 प्रतिशत और फिर अंत में घटाकर 58.4 प्रतिशत कर दिया गया, लेकिन अब भी यह आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक-25 प्रतिशत से 2.33 गुना ज्यादा था।

योग्य अभ्यर्थियों के लिए कड़ी शर्तें और अन्य को छूट।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

सामान्य पदों पर अजा/अजजा की पदोन्नति दण्डनीय अपराध है न्यायपालिका की अवमानना रोकी जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि सामान्य पदों पर अजा-अजजा की पदोन्नति दण्डनीय अपराध है, न्यायपालिका की अवमानना रोकी जाए। पत्र में निवेदन किया गया है कि दिनांक 31.08.2020 को एक विस्तृत ज्ञापन आप श्रीमान सहित विभिन्न प्राधिकारियों को भेज कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों तथा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया था कि आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाने वाले अजा/अजजा लोकसेवकों को किसी भी सूरत में सामान्य पदों पर पदोन्नति दिया जाना न्यायपालिका की अवमानना है, संवैधानिक व विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

पत्र दिनांक 28.06.21 कि जरिये पुन: आग्रह किया गया था कि श्रीमान निरंजन आर्य मुख्य सचिव महोदय द्वारा जातिगत आधार पर अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये उपरोक्त विषय पर माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा जारी निर्णय दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध अविधिक रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील करवाने के दुष्प्रयास किये जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि PHED विभाग से संबंधित इस प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकृत प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव(विधि) से राय लेने के बाद "No Appeal" का निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जा चुका है। पत्र में लिखा कि निरंजन आर्य, मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख शासन सचिव (विधि) की राय को दरकिनार करके राज्य के एजीसाहब से सहमति लेकर इस प्रकरण में आगे अपील करवाने के पुन: प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि सामान्य/ ओबीसी वर्ग के निष्ठावान लोक सेवकों को लम्बे समय तक पदोन्नति से वंचित रखा जा सके। पत्र में प्रार्थना कि है कि आप कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर आधारित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के प्रासंगिक निर्णय दिनांक 09.10.2020 को सभी विभागों में लागू करवाने के लिए कार्मिक विभाग से परिपत्र जारी करवाने की कृपा करें। इस प्रकरण में अनावश्यक एवं अविधिक रूप से किसी भी तरह की अपील के प्रयासों को तत्काल रोकने की कृपा करें।

यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी विनम्र चेतावनी है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आपकी जातिवादी और विद्वेषपूर्ण कार्यवाहियों की जानकारी देने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जावेगा। आशा है आप राज्य के सामान्य/ओबीसी लोकसेवकों द्वारा प्राप्त किये गये न्यायिक निर्णय को तत्काल लागू करवावेंगे, उन्हें न्याय दिलवावेंगे।

जातिवाद का जहर बढ़ा रहे हैं नेता

भारत की अनेकता को संस्कृति के सतरंगी सौंदर्य की उपमा दी जाती रही है, पर वह सौंदर्य अब नष्ट होता दिखाई देता है। अनेकता में एकता के बजाय एकता में अनेकता और वह भी कुरूप हो रही है, और इसके लिये जिम्मेदार हैं हमारे स्वार्थान्ध, मदांधा एवं सत्तांध नेता । गंगा-जमुनी तहजीब अब कल्पना में रह जायेगी। अब देश को बाँधने वाले नहीं, बांटने वाले नेताओं की ही भरभार है। देश प्रेम के बजाय 'जाति प्रेम' अपने विद्रूप एवं वीभत्स रूप में प्रकट हो रहा है। स्वंतत्रता से पूर्व चाहे गाँव हो या शहर, सभी स्नेह-प्रेम से रहते थे, एक-दूसरे पर आश्रित थे और आदर देते थे। गाँवों की कई कमियों के बावजूद वहाँ स्वर्ग था और नगर भी कम से कम 'नर्क' तो नहीं थे। अब समस्त भौतिक सुविधाओं के उपरांत भी गाँव हो या नगर, सभी समान रूप से प्रदूषित और जहरीले हो गये हैं। पंच तत्वों के पदूषण के साथ जातिवाद का जहर भी भीषण रूप ले रहा है। देश को बरबाद कर रहा है। यह जहर विनाश की ओर ले जा रहा है। रोम जल रहा था और 'नीरो' अपने महल में बैठा बाँसुरी बजा रहा था। हमारे नेता भी अपनी सत्ता तृष्णा के कारण जातिवाद का जहर उगलते ही रहते हैं, और यही उन्हें सुकून देता है। स्वतंत्रता से पूर्व मुगल शासन में तो निश्चय ही बहुसंख्यको की आबादी ज्योमिती प्रगति के साथ बढ़ती चली गई । अंग्रेजों ने भी यही किया, उन्होंने भी बहुसंख्यकों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में से अपनी आस्था स्वीकारने हेतु बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया । शासकों का यह मंत्र होता है कि शासितों को विभाजित करो, लड़ाओ और राज्य करो। हर शासक यही करता है।

भूतकाल में जो कुछ भी हुआ, उसके परिणाम स्वरूप भारत का भौगोलिक क्षेत्र सिकुड़ता चला गया। इधर बढ़ती जनसंख्या और उधर सिकुड़ता क्षेत्र। स्वतंत्रता के बाद आशा थी कि अब शासक धर्म परिवर्तन नहीं करायेंगे और अब 'फूट डालो और राज करो' की नीति बदल जायेगी। लोग प्रेम से रहेंगे, सबके साथ न्याय होगा। सभी समान अधिकारों का आनन्द लेंगे। परंतु हुआ उलटा ही। साम्प्रदायिक दंगे भड़काये जाते रहे, धर्म परिवर्तन चलता जा रहा और जनसंख्या का संतुलन और अनुपात ही गड़बड़ा गया। पड़ौसी देश ने अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन, उन पर अत्याचार, उनके देवस्थानों का विनाश चलता रहा और अल्पसंख्यक लगभग नगण्य संख्या में रहे गये। पड़ौसी देश ही नहीं, हमारे देश में भी साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ता ही गया।

गत् कुछ वर्षों से दंगों में कमी आई तो जब भी अवसर मिला केन्द्र व राज्यों के विपक्ष माहौल बिगाड़ने में पीछे नहीं रहे। परिणामस्वरूप शाहीनबाग, निजामुद्दीन मरकज की घटनाएँ व देहली के दंगों के रूप में हम देख चुके हैं। कोरोना काल में सहयोग के बजाय विरोध और प्रत्येक बिंदु पर राजनीतिक विरोध चलता रहा। कोरोना योद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार को पाठक अभी भूले नहीं होंगे। यह सब कुछ तो होता ही रहा, ऊपर से सत्ता प्राप्ति करने व सत्तासीन रहने में जातिगत आरक्षण ने हमेशा के लिये देश को बरबादी की राह पर डाल दिया। दस वर्ष का आरक्षण आज तक बदस्तूर जारी है। न्याय पालिका आरक्षण पर न्याय सम्मत राय देती है तो न केन्द्र सरकार उसे मानती है और न ही राज्य सरकारें। चयन व पदोन्नति हेतु प्रत्येक सरकार आरक्षण का समर्थन करती है। हर सरकार सत्ता में रहने हेतु यही शस्त्र अपनाती है।

गत् कुछ वर्षों से दंगों में कमी आई तो जब भी अवसर मिला केन्द्र व राज्यों के विपक्ष माहौल बिगाड़ने में पीछे नहीं रहे। परिणामस्वरूप शाहीनबाग, निजामुद्दीन मरकज ही घटनाएँ व देहली के दंगों के रूप में हम देख चुके हैं। आज जरूरत है अवाम को पुरी तरह जाग जाने की।

तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के आधार पर डी.एम.के. और ए.आई.डी.एम. के जीवन पाती हैं। केरल में निरंतर अल्पसंख्यकों की वृद्धि पर सत्ता चलती है। कर्नाटक में लिंगायत समाज का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। आंध्र में तेलुगू होने की भावना के आधार पर सत्ता बनती-बिगड़ती है। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गूजर, हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल आरक्षण चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण और जोड़ दिया है। शायद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी अलग-अलग आरक्षण माँगे। जैन को अल्पसंख्यक घोषित करके भी जातिवाद बढ़ाया गया। धर्माचार्य भी इसको हवा देते रहते हैं। जैन अपने आपको हिंदु नहीं कहते, आदिवासी नेता भी कहते हैं कि हम हिंदु नहीं हैं। अरे भाई, फिर हिंदुस्तान में कौन रहता है, इसका नाम' अनेकास्तान' रखने का संशोधन विधायक भी संसद में पारित कर दीजिये। विधान सभाएँ भी स्वीकृति दे देंगी क्योंकि वहाँ वैसे भी हंगामा ही होता है, कुछ ठोस काम नहीं । नारा लगायें, हम 'अनेक' हैं 'एक'नहीं। पंजाब में खालिस्तान की माँग उठती रहती है, कश्मीर में उसे भारत से अलग रखने की, प.बंगाल में बगाली के अलावा अन्य सबको बाहरी मानने की, उत्तर पूर्वी राज्यों में दो राज्यों के बीच सीमा विवाद पर लड़ मरने की । वाह रे नेताओं कितने महान हो तुम!

केन्द्र सरकार भी कुछ पीछे नहीं, वह भी समर्थन करती है महिला के मंदिर में प्रवेश न करने की, सवर्ण को बिना जाँच गिरफ्तार करने का। और अब जो जाति के आधार पर तोड़ने हेतु जनगणना का विधेयक ही पारित करवा लिया उसने महाभारत के युद्ध हेतु ही नहीं, यादवों को श्राप से आपस मे ही जूझने हेतु भी विरोध नहीं किया किसी ने क्योंकि सबको 'वोट' चाहिये ओ.बी.सी. के।

भारत में परम्परागत त्यौहार ही खूब हैं, अब नये-नये त्यौहार पश्चिम की तर्ज पर आ गये हैं। 'दिवसों' को मनाने की भी अभूतपूर्व परम्परा है। फिर उस दिन छुट्टी भी होनी चाहिये-परशुराम जयन्ती पर, रामदेव जयंती पर, प्रताप जयंती पर, संत रैदास जयंती पर, मीरा, कबीर और तुलसी जयंती पर। कुछ पर है, कई अल्पसंख्यकों के त्यौहार पर भी। कुछ पर है और कुछ पर और होती रहेगी। याने हम काम न करें, बस छुट्टी मनावें। अरे पाठक मित्रों दिवसों में तो 'शिक्षक दिवस', 'डॉक्टर दिवस', 'इंजीनियरज दिवस', 'महिला दिवस', 'योग दिवस', 'स्वच्छता दिवस', 'पर्यावरण दिवस', 'सेना दिवस', 'साक्षरता दिवस', 'श्रम दिवस', 'शहीद दिवस', और अन्य अगणित दिवस हैं। सड़कें काँच की माफिक हैं, आतंकवाद, बेरोजगारी सब में अव्वल हैं। हम!

हाल ही में एक मुख्यमंत्री जी ने 'आदिवासी दिवस' की घोषणा ही नहीं की, उस दिन अवकाश भी रखा। वाह! क्या कहने, एक और विभाजन रेखा, एक और जहरीला रेखा। क्या होगा इससे? क्या आदिवासी कल्याण हो जायगा इससे। श्रीमन, कल्याण होगा देश का जन कल्याण से, परिश्रम से, सेवा से, त्याग से, बलिदान से, घोषणाओं से नहीं, सत्तासीन रहने अथवा सत्ता प्राप्ति के इन प्रहसनों से नहीं। बाज आओ नेताओं बाज आओ, अपने ओछे हथकंडों से। मत ले जाओ देश को गर्त की ओर। देश रहेगा तो सत्ता रहेगी। क्या किसी व्यक्ति या परिवार का पट्टा है सत्ता के लिये। कई बार कई प्राँतों में नेता, अभिनेता और उनके परिवार के लोग कितनी ही टर्म्स तक मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री रह लिये, दुसरो को आगे आने दीजिये, काम करने दीजिये, देश के हित में । बाधक मत बनिये अपने स्वार्थ, अपने अहं एवं अपनी सत्तालिप्सा के कारण। अनेकता में एकता की दुहाई देने वाले नेताओं बंद करो एकता में अनेकता ही नहीं विद्वेष के प्रयास।

अतिथि सम्पादक,
कैलाश विहारी वाजपेयी

मृतकों के लिए सरकारी मुआवजा निर्धारित करने के लिए एकरूप कानून और नीति बनाने के निर्देश जारी किये जाये: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सरकारी मुआवजा निर्धारित करने के लिए एकरूप कानून और नीति बनाने के निर्देश जारी करवाये जाए।

पत्र में निवेदन किया है कि अभी हाल ही में लखीमपुर की घटनाओं में मरने वाले चार आन्दोलनकारियों की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 45-45 लाख के मुआवजे के साथ घर के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की गई है। पंजाब और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्रियों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जाकर प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को 50-50 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इतना भारी भरकम मुआवजा के बराबर तो किसी अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करने के बाद एट्रोसिटी एक्ट के अधीन दिये जाने वाले मुआवजे की राशि भी नहीं है। इसी अवधि में राजस्थान राज्य के हनुमानगढ जिले में एक अनुसूचित जाति के युवक को लाठी से पीट-पीट कर मार देने और मारने का वीडियो वायरल करने के बाद उस मृतक के परिवार वालों को केवल चार लाख दस हजार की मुआवजा राशि दिये जाने की जानकारी अखबारों से हमें मिली हैं। किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना कल्याणकारी राज्य का पुनीत कर्तव्य है। लेकिन राज्यों की सरकारों द्वारा अनेक कारणों से होने वाली मौतों पर दिये जाने वाले मुआवजे की राशि में भारी भेदभाव यह प्रकटत: प्रमाणित करता है कि राज्यों की सरकारों द्वारा मृतकों के लिए मुआवजों की राशि अपनी दलगत राजनीति और वोटों की गणित को देखकर तय की जाती है। कोई भी सरकार सार्वजनिक कोष की मालिक नहीं होती। केवल ट्रस्टी होती है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारें द्वारा बिना किसी कानून या नीति के अपनी दलगत राजनीति और वोटों की गणित को देखते हुये भारी-भरकम मुआवजा राशि दिये जाने की कार्यवाही पूरी तरह अनैतिक, अविधिक, असंवैधानिक होने के साथ-साथ न्यासी सिद्धान्त के साथ धोखा है, सार्वजनिक कोष का दुरूपयोग है और करदाताओं के साथ विश्वासघात है। यह बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है कि लखीमपुर काण्ड में पंजाब और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने राष्ट्रीय राजनेता और कांग्रेस दल की राजनीति चमकाने, वोट बैंक बनाने तथा आन्दोलन की आंच से जूझ रही उत्तरप्रदेश सरकार को अपमानित करने के लिए अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर अपने राज्य के सार्वजनिक कोष का दुरूपयोग करते हुये मृतकों के लिए 50-50 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की गई है।

उपरोक्त तथ्यात्मक जानकारी केवल एक उदाहरण मात्र है। राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक कोष के दुरूपयोग से अपनी दलगत राजनीति और वोटों की गणित के आधार पर असाधारण भारी भरकम मुआवजे देने की घटनाएँ लगातार बढती जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारी प्रार्थना है कि देश के समतावादी कानून, संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक कोष की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए:-

1. केन्द्र सरकार को पूरे देश में एकरूप मुआवजा राशि के लिए बाध्यकारी कानून बनाने के निर्देश जारी करके अनुग्रहित करें।
2. उत्तर प्रदेश सरकार को उसके द्वारा घोषित 45-45 लाख की भारी-भरकम मुआवजा राशि पर पुनर्विचार करने और न्यायसंगत राशि तय करने के निर्देश जारी करके अनुग्रहित करें।
3. पंजाब के मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे राज्य की सीमा में जाकर घोषित 50-50 लाख की मुआवजा राशि को सार्वजनिक कोष से दिये जाने पर तत्काल रोक लगाते हुये उन्हें पार्टी फण्ड से यह मुआवजा राशि भुगतान करने के आदेश जारी कर अनुग्रहित करें।

प्रश्नपत्र लीक होने के कारण रीट परीक्षा दुबारा करवाई जाए: समता आन्दोलन

जयपुर: समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि आप यह भली भांति जानते हैं कि रीट परीक्षा का पेपर व्यापक स्तर पर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। इस प्रकरण में बड़ी संख्या में हुई गिरफ्तारियाँ यह प्रकट करती हैं कि सैकड़ों/हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने लीक पेपर का लाभ उठाया है। प्रदेश के ईमानदार, परिश्रमी और मेधावी युवा परीक्षार्थी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस प्रकरण में अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुये लाखों परीक्षार्थियों को न्याय दिलाने, रीट परीक्षा की शुचिता-पारदर्शिता बनाये रखने, प्रदेश सरकार की गरिमा बनाये रखने, पूरे देश में राजस्थान प्रदेश की छवि धूमिल होने से बचाने के लिए रीट परीक्षा को रद्द करके दुबारा करवाई जाये।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in